राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 115 / 2020

हरीराम पुत्र श्री पोकर, उम्र 64 वर्ष जाति–गुर्जर, निवासी जसरापुर, तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनू (राज.)

.... प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 16–02–2021**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम जसरापुर स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 498 में प्रार्थी का नाम हरपाल पुत्र पोकर के स्थान पर हरीराम पुत्र पोकर दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 498 ग्राम जसरापुर पेश की गई तथा गवाह भवंरलाल पुत्र पोकर जाति गुर्जर निवासी जसरापुर व रामजीलाल पुत्र भाताराम जाति गुर्जर निवासी जसरापुर के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम जसरापुर स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 498 में प्रार्थी का नाम हरपाल पुत्र पोकर के स्थान पर हरीराम पुत्र पोकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम जसरापुर स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 498 में प्रार्थी का नाम हरपाल पुत्र पोकर के स्थान पर हरीराम पुत्र पोकर दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16–02–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी